



## आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार, न्यायिक  
मण्डल : बरेली, जनपद : बरेली, तहसील : बरेली  
वाद संख्या :- RST/11156/2025  
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202512130111156  
तेजेंद्र सिंह छावड़ा बनाम अनुपमा चौधरी  
अंतर्गत धारा:- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

## निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादी/पुनर्स्थापनकर्ता के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गयी प्रार्थना पत्र एवं इसके साथ संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन एवं पुनर्स्थापनकर्ता को सुनने के उपरांत पूर्व पारित आदेश दिनांक 24.05.2025 निरस्त कर वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये वाद पुनर्स्थापन किया गया। निर्धारित अवधि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण वाद को निर्विवाद मानते हुये वादी को साक्ष्य का अवसर दिया गया। साक्ष्य के रूप में मूल बैनामा, उद्घरण खतौनी व वादी का शपथपत्र संलग्न पत्रावली है। पत्रावली पर रक्षित हल्का लेखपाल की आख्यानुसार विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। क्रेता के कब्जे की एवं विक्रीत भूमि का ग्राम समाज व सीलिंग से प्रभावित न होने की पुष्टि हुई है। विक्रेता संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतौनी है। कब्जे को लेकर सहखातेदारों में कोई विवाद नहीं है। उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा-89 एवं 98 उ0प्र0रा0सं0-2006 से बाधित न होने के कारण नामान्तरण किये जाने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है:-

## आदेश

“ग्राम नगरिया कलां परगना व तहसील व जिला बरेली के उद्घरण खतौनी फसली वर्ष 1427-1432 के गाटा संख्या-4/1 रकवा-0.0260हे0, व गाटा संख्या-6/1 रकवा-0.0480हे0 में से 0.0228हे0 यानि 228 वर्ग मी0 पर लगान 60ख के अनुसार विक्रेता श्रीमती अनुपमा चौधरी पत्नी देवेन्द्र सिंह निवासी मो0 कानून गोयान मैकनियर रोड बरेली व श्रीमती अर्चना चौधरी पत्नी धीरज सिंह निवासी 334 चंगासी हाउस मैकनियर रोड कानून गोयान जिला बरेली के नाम के साथ क्रेता वाई.सी.एल. इन्फ्राटैक प्रा0लि0 रजि0 ऑफिस 404, 4/एफ रुट्स टॉवर लक्ष्मीनगर वी 3 माल ईस्ट दिल्ली द्वारा अधिकृत पदाधिकारी/प्रतिनिधि तेजेन्द्र सिंह छावड़ा पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह छावड़ा निवासी यूनिट नं0 एस0-1004 ओमेक्स दिवन टावर्स एफ-ब्लाक सेक्टर 50 नोएडा गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 का नाम उन्हीं भौमिक अधिकारों में विलेख संख्या-17863, बैनामा दिनांक 14/11/2024 के आधार पर बतौर सहखातेदार दर्ज हो। अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित समस्त संलग्नकों सहित पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल की जाये।

दिनांक:- 02/04/2026

तहसीलदार, न्यायिक  
(सदर), बरेली।

पृष्ठ संख्या :

|      |       |     |                    |        |      |          |
|------|-------|-----|--------------------|--------|------|----------|
| 0.60 | भूराज | (9) | खानेवाले द्वारा दे | ख्या : | 3471 | nt/rep_f |
|------|-------|-----|--------------------|--------|------|----------|



### आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार, न्यायिक  
मण्डल : बरेली, जनपद : बरेली, तहसील : बरेली  
वाद संख्या :- RST/2962/2026  
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202612130102962  
संजय कुमार तिरखा बनाम विशाल मोदी  
अंतर्गत धारा :- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

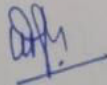
### निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादी/पुनर्स्थापन कर्ता के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गयी प्रार्थना पत्र एवं इसके साथ संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन एवं पुनर्स्थापन कर्ता को सुनने के उपरांत पूर्व पारित आदेश दिनांक 09.03.2026 निरस्त कर वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये वाद पुनर्स्थापन किया गया पत्रावली में कोई आपत्ति शामिल नहीं होने के कारण वाद को निर्विवाद मानते हुये वादी को साक्ष्य का अवसर दिया गया। साक्ष्य के रूप में मूल बैनामा उद्धरण खतौनी व वादी का शपथपत्र पर रक्षित है। क्रेता व उसके विधिक परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की सीमा से अधिक भूमि नहीं है। पत्रावली पर रक्षित लेखपाल आख्यानानुसार विक्रेता/क्रेता के अनुसूचित जाति के न होने क्रेता के कब्जे की एवं विक्रीत भूमि का ग्राम समाज व सीलिंग से प्रभावित न होने की पुष्टि हुई है। कब्जे को लेकर सहखातेदारों में कोई विवाद नहीं है। विक्रेता संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतौनी है। क्रेता द्वारा शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रथम बार दायरा किया है तथा प्रार्थी का वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा-77,89 एवं 98 उ०प्र०रा०सं०-2006 से बाधित न होने के कारण नामान्तरण किये जाने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार आदेश किया जाता है कि:-102962

### आदेश

ग्राम नगरिया कलां परगना व तहसील व जिला बरेली के उद्धरण खतौनी फसली बर्ष 1427-1432 के खाता संख्या-00008 के गाटा संख्या-4/1 रकवा-0.0260हे० में से 0.0114हे० व गाटा सं० 6/1 रकवा 0.0480हे० में से 0.0008हे० व खाता सं०-00065 के गाटा सं० 6/2 रकवा 0.0410हे० में से 0.0121हे० व गाटा सं० 7/2 रकवा 0.0400हे० में से 0.0116हे० व गाटा सं० 8/1 रकवा 0.0900हे० में से 0.0025हे० कुल 5किता कुल रकवा 0.2450हे० में से 0.0384हे० की मालिक कम्पनी मजकूर है जिसमें से 0.0192हे० यानि 192 वर्ग मी० भूमि विक्रय की लगान 60ख के अनुसार विक्रेता AAREM INTERNATIONAL INC Shop No.-2 Second Floor Lajpat Nagar-II नई दिल्ली 110024 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी विशाल मोदी पुत्र श्री गौरी शंकर मोदी निवासी 383, नजदीक गंगापुर चौराहा बाग अहमद अली बरेली के नाम के साथ क्रेता YCL INFRATECH PRIVATE LIMITED रजि० ऑफिस 404, 4/F ROOTS TOWER LAXMI NAGAR NR V3 S MALL EAST DELHI, DELHI 110092 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी संजय कुमार तिरखा पुत्र श्री केदार नाथ तिरखा निवासी 11 फेस-3 आशीष रॉयल पार्क बरेली का नाम उन्ही भौमिक अधिकारों में विक्रय विलेख क्रमांक 8259 दिनांक 21.05.2025 के आधार पर बतौर सहखातेदार दर्ज हो। अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित समस्त संलग्नकों सहित पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल की जाये।

दिनांक-07/04/2026

  
तहसीलदार न्यायिक  
(सदर), बरेली।

पृष्ठ संख्या :



आदेश पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार  
मण्डल : बरेली, जनपद : बरेली, तहसील : बरेली  
वाद संख्या :- RST/28549/2025  
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202512130128549  
तेजेंद्र सिंह छावड़ा बनाम अरविन्द सिंह  
अंतर्गत धारा :- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादी/पुनर्स्थापन कर्ता के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारम्भ की गयी प्रार्थना पत्र एवं इसके साथ संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन एवं पुनर्स्थापन कर्ता को सुनने के उपरान्त पूर्व पारित आदेश दिनांक 24.10.2025 निरस्त कर वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये वाद पुनर्स्थापन किया गया पत्रावली में कोई आपत्ति शामिल नहीं होने के कारण वाद को निर्विवाद मानते हुये वादी को साक्ष्य का अवसर दिया गया। साक्ष्य के रूप में मूल बैनामा उद्धरण खतौनी व वादी का शपथपत्र पर रक्षित है। विक्रय विलेख व शपथ पत्र के अनुसार विक्रेता/क्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। क्रेता व उसके विधिक परिवार के पास सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 12.5 एकड़ की सीमा से अधिक भूमि नहीं है। हल्का लेखपाल की पत्रावली पर रक्षित आख्यानुसार विक्रेता/क्रेता के अनुसूचित जाति के न होने क्रेता के कब्जे की एवं विक्रीत भूमि का ग्राम समाज व सीलिंग से प्रभावित न होने की पुष्टि हुई है। कब्जे को लेकर सहखातेदारों में कोई विवाद नहीं है। विक्रेता संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतौनी है। क्रेता द्वारा शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रथम बार दायरा किया है तथा प्रार्थी का वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त वाद अन्तर्गत धारा-77, 89 एवं 98, उ०प्र०रा०सं०-2006 से बाधित न होने के कारण नामान्तरण किये जाने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार आदेश किया जाता है कि-128549

आदेश

ग्राम नगरिया कलां परगना व तहसील व जिला बरेली के उद्धरण खतौनी फसली वर्ष 1427-1432 के खाता संख्या-00008 के गाटा संख्या 6/1 रकवा 0.0480हे० में से 0.0195हे० व गाटा सं० 7/1 रकवा 0.0870हे० में से 0.0435हे० कुल विक्रीत रकवा 0.0630हे० कुल लगान 60ख के अनुसार विक्रेता अरविन्द सिंह पुत्र श्री सरदमन सिंह व अजय सिंह व अमन सिंह पुत्रगण श्री सौधान सिंह निवासी गण मोहल्ला कानून गोयान मकैनियर रोड बरेली के नाम पृथक कर क्रेता YCL INFRA TECH PRIVATE LIMITED रजि० आफिस 404/4/F ROOTS TOWER LAXMI NAGAR NR V3 MALL EAST DELHI 110092 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी तेजेंद्र सिंह छावड़ा पुत्र स्व० महेन्द्र सिंह छावड़ा निवासी यूनिट नं० एस-1004 ओमेक्स टिवन टावर्स एफ-ब्लॉक सेक्टर 50 नोयडा गौतमबुद्ध नगर उ०प्र० का नाम उन्ही भौमिक अधिकारों में विक्रय विलेख क्रमांक 14553 दिनांक 18.08.2025 के आधार पर दर्ज हो। अमलदरामद एवं आवश्यक कार्यवाही उपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित समस्त संलग्नकों सहित पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल की जाये।

दिनांक- 09/02/2026

तहसीलदार  
(सदर), बरेली।